न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 57/2021/223 (2021/57)

1. कैलाशचंद पुत्र छोटूलाल, जाति कुमावत, निवासी बूबानी, तहसील व जिला अजमेर ।
2. प्रकाशचन्द पुत्र छोटूलाल, जाति कुमावत, निवासी बूबानी, तहसील व जिला अजमेर ।
3. महेन्द्र पुत्र छोटूलाल, जाति कुमावत, निवासी बूबानी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गुमानी देवी पत्नि स्व0 भैरू, जाति रावत, निवासी बूबानी, तहसील व जिला अजमेर ।
2. रंगलाल दत्तक पुत्र स्व0 भैरू, जाति रावत, निवासी बूबानी, तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस/वादीगण संख्या 1 व 2

3. हजारी पुत्र स्व0 कल्ला, जाति रावत, निवासी बूबानी, तहसील व जिला अजमेर । (फौत) जरिये वारिसानः—
   3/1— श्रीमती धन्नी,
   3/2— हरी,
   3/3— किशन,
   3/4— संगीता,
   3/5— श्रीमती मोहिनी,
   3/6— कालू,
   3/7— नन्दा,
   3/8— मंजूदेवी,

रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1

4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
5. उप पंजीयक प्रथम/द्वितीय, पंजीयन विभाग, जयपुर रोड़, अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 18.2.2016 अंतर्गत वाद संख्या 62/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शुभकरण चौधरी एवं श्री सूण्डाराम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3/1 से 3/6 एवं 4 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5 व 6.

निर्णय

दिनांकः– 2.9.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. रेस्पो0 / वादीगण संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 व 88 राज0काश्त0अधि0 का विरूद्ध अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि ग्राम बूबानी, तहसील व जिला अजमेर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 71 पुराना 215 के खसरा नंबर 1883 रकबा 0.28 है0, जिसके वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का 34/100 हिस्सा के हिस्सेदार, खातेदार दर्ज है । इस प्रकार 34/100 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के सहहिस्से खातेदार वादीगण है एवं 34/100 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है तथा शेष 66/100 हिस्सा के सहिस्सेदार खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 है । इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त हिस्सेदार है। उक्त भूमि का मय मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा वांछित है जिसके अनुसार बंटवारे के अनुसार वादीगण का 34/100 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अलग से अंकन कराया जाना वांछित है एवं बंटवारे के अनुसार वादीगण के हिस्से की भूमि वर्तमान राजस्व नक्शे में भी तरमीम करवाई जावे, इस आशय की बंटवारा की आज्ञाप्ति पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनाक 18.2.2016 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि के सिद्धांतों एवं न्याय, नियमां के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.2.2016 नियत की थी जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने जवाबदावा पेश किया है । अधी0न्याया0 ने जवाबदावा तो रिकार्ड पर ले लिया लेकिन उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 18.2.2016 को हो जाने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहा इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय दस्तावेज पत्रावली पर लिया जाना विधिसम्मत् नही होने से प्रतिवादी का जवाबदावा मय दस्तावेज रिकार्ड पर नही लिया जाकर पत्रावली के साथ संलग्न करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 की संपूर्ण आदेशिका से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का ना तो अंतिम अवसर दिया गया है ना ही जवाबदावा बंद करने की आदेशिका है । इस प्रकार दिनांक 18.2.2016 को बहस सुने बिना ही और जवाबदावा प्रस्तुत किये बिना स्वप्रेरणा से ही बहस सुनने का हवाला देकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया बल्कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 स्वंय के जवाबदावे में वादीगण के द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों के संबधं में आदेश 8 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधनों के तहत विनिर्दिष्टः प्रत्याख्यान किया है ऐसी परिस्थिति में

अधी0न्याया0 को अभिवचनों के आधार पर तनकी कायम किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के अभिवचनों को नजरअंदाज कर तनकी कायम नहीं की और जवाबदावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही जवाबदावा बंद किये बिना और बहस सुने बिना निर्णय पारित किया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअदांज कर गंभीर विधिक भूल की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि बेनामा दिनांक 13.1.1992 की रूह में मौके पर किये गये बाहमी बंटवारे में वादीगण के पति व पिता व हजारी पुत्र कल्ला प्रतिवादी संख्या को उत्तरी दिशा वाला भाग पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण रकबे पर बाहमी बंटवारा किया था तथा दिनांक 17.7.2015 को नायब तहसीलदार द्वारा मौका पर्चा बनाया उसमें भी उक्त वाहमी बंटवारा के अनुसार ही कब्जा चला आ रहा है । इसलिये मौका पर्चा का अवलोकन किये बिना तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.6.2016 नियत होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने दिनांक 18.2.2016 को ही बिना सुने मात्र आदेशिका में बहस सुनने का हवाला देकर निर्णय प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जबकि किसी वाद में बिना जवाब दावा प्रस्तुत किये बहस सुनी जाती है तो उभयपक्षकारों के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाना चाहिये, जो नहीं कर अधी0न्याया0 ने विधि के सिद्धांतों के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । प्रवितदीगण संख्या 2 से 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावे में स्पष्ट रूप से यह भी अंकित किया था कि वादग्रस्त भूमि का बेनामा दिनांक 13.1.1992 की रूह में मौके पर किये गये वाहमी बंटवारे में वादीगण के पति व पिता व हजारी पुत्र कल्ला प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तरी दिशा वाला भाग पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण रकबे पर दिया गया था । अधी0न्याया0 को उक्त तथ्यों के आधार पर तथा अभिवचनों के आधार पर तनकी बनाया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । मौका पर्चा दिनांक 17.7.2015 में वर्णित नजरी नक्शा जिसमें दक्षिणी जो बी भाग दर्शाया है उक्त 66/100 हिस्से पर बेनामा दिनांक 13.1.1992 से वाहमी बंटवारा से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिकार एवं आधिपत्य में चला आ रहा है तथा उत्तर की तरफ का हिस्सा जो कि ए भाग से दर्शाया गया है में वादीगण के पति व पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार एवं आधिपत्य में चला आ रहा है । चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने खरीद लिया है इसलिये उत्तर की ओर के 37/100 हिस्सा जो कि ए भाग से दर्शाया है का बंटवारा पूर्व से पश्चिम की ओर 17/100, 17/100 दो बराबर भागों में बंटवारा विधिनुसार किया जाना न्यायोचित था । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने नायब तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 17.7.2015 का भी अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री विवाद बिन्दू बनाये जाकर पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है जिसमें पक्षकारान का वाद में दर्शाये अनुसार हिस्सा दर्ज है । अधी0न्याया0 ने वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को पक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा किया जाकर बंटवारा

प्रस्ताव मय नक्शा के पेश करने के निर्देश दिये है जो विधिसम्मत् है। यदि अपीलांटस को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति है तो वे बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करते समय अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज प्रस्तुत कर सकते है । अपीलांटस ने ऐसा कोई तथ्य अपील में अंकित नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांटस के हक व हिस्से में कम भूमि रखी गई हो । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बूबानी तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 71 पुराना 215 के खसरा संख्या 1883 रकबा 0.28 है0 भूमि स्थित है जिसके वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 34/100 हिस्सा दर्ज होकर सहखातेदार दर्ज है । इस प्रकार 34/100 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार वादीगण एवं 34/100 हिस्सा के सहिस्सेदार खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 2 सें 4 है । उक्त भूमि का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 18.2.2016 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को खसरा संख्या 1883 रकबा 0.28 है0 भूमि में 34/100 हिस्से में से 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 34/100 हिस्से में से 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 4 को 66/100 हिस्से अनुसार बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या पुराना 71 नया 215 के खसरा संख्या 1883 रकबा 0.28 है0 भूमि कैलाशचंद, प्रकाशचंद, महेन्द्र कुमार पि0 छोटूलाल कौम कुमावत, ब0हि0बराबर 66/100 हिस्सा, भैरू व हजारी पुत्रगण कल्ला कौम रावत, ब0हि0ब0 34/100 हिस्सा सा0देह खातेदार राहिन कैलाशचंद, प्रकाशचंद, महेन्द्र कुमार पि0 छोटूलाल का हिस्सा एस0बी0बी0जे0 शाखा भूडोल मुर्तहीन दर्ज है । इसी जमाबंदी में दर्ज नामांतकरण संख्या 217 दिनांक 21.5.2014 विरासत से मृतक भैरू पुत्र कल्ला के स्थान पर उसके वारिसान गुमानीदेवी पत्नि भैरू, रंगलाल दत्तक पुत्र भैरू जाति रावत का अंकन स्वीकार किया गया है । अन्य नामांतकरण संख्या 340 दिनांक 14.9.2015 बैचान (जरिये मुख्तियारआम) से खसरा संख्या 1883 रकबा 0.28 है0 में हजारी वल्द कल्ला 17/100 हिस्सा के स्थान पर क्रेता कैलाशचंद, प्रकाशचंद, महेन्द्र कुमार पि0 छोटूलाल जाति कुमावत सा0देह 17/100 हिस्सा का अंकन स्वीकार किया जाना अंकित है । यद्यपि अधी0न्याया0 ने निर्णय में विक्रेता हजारी वल्द कल्ला का 17/100 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 हजारी वल्द कल्ला के पक्ष में बंटवारा किये जाने का अंकन किया है किन्तु अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव में खसरा संया 1883/1 रकबा 0.2324 है0 भूमि कैलाश, प्रकाशचंद, महेन्द्र कुमार पि0 छोटूलाल जाति कुमावत के हिस्से में तथा खसरा संख्या 1883/2 रकबा 0.0476 है0 भूमि गुमानी पत्नि भैरू, रंगलाल पि0 भैरू जाति रावत के हिस्से में रखी गई है । उक्त बंटवारा प्रस्ताव में बनाये गये नजरी नक्शें में दोनों के खसरा नंबर अलग-अलग दर्शाये गये है । यदि अपीलांटस तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव से असंतुष्ट है तो अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम बंटवारा की डिक्री पारित करते समय अपने ऐतराज प्रस्तुत कर सकते है । अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्यों में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अपीलांटस के हक व हिस्से में भूमि कम रखी गई हो । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से पक्षकारान के हक व हिस्से

अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.2.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 2.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः– श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

कैलाश चन्द पुत्र छोटू लाल जाति कुमावत निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

श्रीमती गुमानी देवी पत्नि स्व. भैरू जाति रावत निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 57/2021 (2021/57) ब नाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर मुबर्खे 18 माह 02 सन् 2016, प्रकरण संख्या 62/2015,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 02 माह 09 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री शुभकरण चौधरी वकील मिनजानिब अपीलांट,व श्री निर्मल कुमार जैन, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2, श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 06 (राजकीय अभिभाषक) समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:–**अपील अपीलांटस खारिज की जाती हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2016 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक—x— रूपये—x—. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का——x—— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 02 माह 09 .सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	—	1.स्टाम्प वकालतनामा	—
2.स्टाम्प वकालतनामा	—	2.स्टाम्प अर्जी	—
3.इजराय हुक्मनामा	—	3.इजराय हुक्मनामा	—
4.वकील फीस बाबत्	—	4.महनताना वकील	—
मीजान	—	मीजान	—

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

Judil/Civil